

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4 / अ0प्र0-01-15 / 2017

19

/पटना, दिनांक-17/01/22

1. श्री सुजीत कुमार, कनीय अभियंता (गृह जिला-औरंगाबाद) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-58 सहपठित ज्ञापांक-1811 दि0-14.12.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, बेलसंड के रिक्त कार्य प्रशाखा, रून्नीसैदपुर-2 में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता (गृह जिला-अरवल) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-56 सहपठित ज्ञापांक-1809 दि0-14.12.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, सोनपुर के रिक्त कार्य प्रशाखा, दरियापुर-2 में पदस्थापित किया जाता है।

3. श्री अविनाश, कनीय अभियंता (गृह जिला-गया) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-57 सहपठित ज्ञापांक-1810 दि0-14.12.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, अरवल के रिक्त कार्य प्रशाखा, कुर्था-1 में पदस्थापित करते हुए रिक्त कार्य प्रशाखा, वंशीसुरजपुर का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक :- 4 / अ0प्र0-01-15 / 2017

272

/पटना, दिनांक-17/01/22

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1, 2, 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/सीतामढ़ी/छपरा/ मुजफ्फरपुर/मोतिहारी एवं बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल/बेलसंड/ सोनपुर/नवादा एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल/बेलसंड एवं सोनपुर पूर्व स्थान से अद्यतन एल0पी0सी0 यथाशीघ्र प्राप्त कर संबंधित कनीय अभियंता, का वेतनादि का भुगतान प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त कनीय अभियंता का सत्यापित अद्यतन सेवा पुस्त भी पूर्व के स्थान से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त कनीय अभियंता का वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर यह देख लिया जाय कि उनके नाम से कार्य मद में कोई अग्रिम लंबित है या नहीं। यदि ऐसा कोई राशि लंबित हो तो संबंधित कनीय अभियंता को आदेश दिया जाय कि पूर्व पदस्थापन स्थान से लिये गए अग्रिम का नियमानुकूल समायोजन कराकर समायोजन संबंधी प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध करायें, यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए बिना कार्य के लिए कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 272

/पटना, दिनांक-17/01/22

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 272

/पटना, दिनांक-17/01/22

प्रतिलिपि:-सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 272

/पटना, दिनांक-17/01/22

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग तथा प्रशाखा पदाधिकारी (निगरानी), प्रशाखा-2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 272

/पटना, दिनांक-17/01/22

प्रतिलिपि:-संबंधित निलंबन से मुक्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर योगदान प्रतिवदेन से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 272

/पटना, दिनांक-17/01/22

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।